Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 46 / 2024 सी.आई.एस.क्र.– 46 / 2024

राजेन्द्र जमादार बनाम विजय जमादार एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
11.06.2026	वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08.05.2026 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी सं0 6 से 10 की ओर से वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश – 26, नियम – 9 दिवानी प्रक्रिया संहिता के आवेदन दिनांक 08.058.2026 का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसे अभिलेख पर रखा जाता है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन दिनांक 08.05.2026 को संचालित कर समर्पित किया गया है कि प्रतिवादीगण को दिनांक 06.08.2025 को लिखित कथन देने से वंचित कर दिया गया है। तत्पश्चात प्रतिवादी सं0 6 से 10 की ओर से दिनांक 25.12.2025 को लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि दिनांक 06.08.2025 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादी सं0 6 से 10 के लिखित कथन को ग्रहण करने की कृपा की जाये। उक्त आवेदन का वादी के द्वारा प्रतिउत्तर न प्रस्तुत कर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा जानबूझकर नियत समय के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रतिवादीगण का यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0 6 एवं 8 दिनांक 27.06.2025 को उपस्थित हुये परंतु उनके द्वारा नियत समय के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नही किया गया तथा शेष प्रतिवादी सम्मन का तामिला होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुये जिस कारण से प्रतिवादी सं0 6 एवं 8 को लिखित कथन देने से वंचित एवं शेष प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई किये जाने का आदेश दिनांक 06.08.2025 को पारित किया गया। प्रतिवादी सं0 6 से 10 की ओर से दिनांक 05.12.2025 को लिखित कथन प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त प्रतिवादीगण वाद में संघर्ष करने के लिये तैयार हैं। वद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः दिनांक 06. 08.2025 को प्रतिवादी सं0 6 एवं 8 के विरूद्ध लिखित कथन प्रस्तुत करने से वंचित किये जाने का आदेश तथा प्रतिवादी सं0 7, 9, 10 के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई किये जाने के आदेश को वापस लिया जाता है। वाद आगामी दिनांक ..... वास्ते अग्र कारवाई हेतु नियत। हस्ताक्षर ह0 / – अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	